रिजर्व बैंक को भरोसे में न लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 नवंबर।

विमुद्रीकरण के मामले में रिजर्व बैंक को सरकार ने भरोसे में नहीं लिया था। ऐसा कर सरकार ने आरबीआइ एक्ट, 193 की धारा 26 (2) का उल्लंघन किया है। यह दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता आदिल अल्वी ने अपनी याचिका में कहा है कि देश की मौद्रिक नीति पर खराब असर पड़ा है। यह नीति तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सरकार ने

● माकपा ने सुप्रीम कोर्ट से की पांच सौ के नोट चलाए जाने की अपील

जो घोषणाएं कीं, उनका सुझाव रिजर्व बैंक ने नहीं दिया था। दूसरी ओर, वामपंथी पार्टी माकपा ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर अपील की कि पांच सौ के नोटों पर से पाबंदी हटाने का निर्देश सरकार को दिया जाए।

माकपा ने कहा कि लोगों को यह छूट 30 दिसंबर या तब तक दी जाए, जब तक नए करेंसी नोट पर्याप्त उपलब्ध न हो जाएं। यह याचिका माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने दाखिल की है। सरकार से करेंसी उपलब्ध कराने की चरणबद्ध योजना की जानकारी देने की भी मांग की गई है। माकपा ने अपनी याचिका में कहा है कि आठ नवंबर को प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से जो अफरा-तफरी फैली है, उससे स्पष्ट है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। उस दिन के बाद से एक के बाद एक नए नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं। परीक्षण और भूल के आधार पर ऐसा किया जा रहा है।

लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। विमुद्रीकरण के चलते नकदी और भुगतान का संकट खड़ा हो गया है।

कैदी हत्या मामले में रायपुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक निलंबित

रायपुर, 24 नवंबर (भाषा)।

रायपुर के केंद्रीय जेल में अनुशासन और नियंत्रण नहीं बनाए रख पाने की वजह से राज्य शासन ने जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। जेल में सोमवार को एक कैदी ने अन्य कैदी की हत्या कर दी थी।

जेल विभाग के महानिदेशक गिरधारी नायक ने गुरुवार को बताया कि जेल के भीतर आपत्तिजनक और प्रतिबंधित सामग्रियां पाए जाने और जेल का अनुशासन और नियंत्रण नहीं बनाए रख पाने के कारण केंद्रीय जेल के अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ को निलंबित कर दिया गया है। नायक ने बताया कि गुरुवार को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त दल ने केंद्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया था।

सियार ने बच्चे को मार डाला

सीधी, 24 नवंबर (भाषा)।

मध्यप्रदेश के संजय बाघ अभयारण्य के बफर जोन के अंतर्गत धनौर गांव में बुधवार को 11 माह के पुत्र शिवम को उसकी मां आंगन में सुलाकर बाहर घरेलू कामकाज करने चली गई। तभी सियार ने सो रहे बच्चे का मुंह नोच लिया। बुरी तरह जख्मी बच्चे की अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई।

हैदराबाद में बाल सुधार गृह से भागे 12 नाबालिग

हैदराबाद, 24 नवंबर (भाषा)।

यहां के नगोला के एक बाल सुधार गृह से 12 किशोर फरार हो गए। फरार होने से पहले किशोरों ने एक सुरक्षाकर्मी को धक्का दिया और उसे घायल कर दिया। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यह घटना बुधवार मध्यरात्रि के करीब उस समय हुई जब 15 से 17 साल के बीच के किशोरों ने बाल सुधार गृह के मुख्य द्वार की ग्रिल को तोड़ दिया। यह सुधार गृह एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित किया जाता है।

एलबी नगर थाना के इंस्पेक्टर पी कासी रेड्डी ने बताया कि जब सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उसे धक्का देकर किशोर फरार हो गए। रेड्डी ने बताया, 'घटना के दौरान बुजुर्ग सुरक्षाकर्मी को मामूली चोटें आईं।'

छात्रा गर्भवती हुई, साहपाठी पर बलात्कार का मामला दर्ज

मुंबई, 24 नवंबर (भाषा)।

जुहू में छात्रा (15) से उसके नाबालिग दोस्त ने स्कूल परिसर के भीतर कई बार बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि अपराध स्कूल परिसर के अंदर हुआ। इस मामले का पता 21 नवंबर को चला जब छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने जांच पाया कि छात्रा 13 हफ्ते की गर्भवती है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित और आरोपी एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक-दूसरे को जानते थे। अगस्त में स्कूल परिसर के लेडीज टॉयलेट में दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने इस बारे में सबको बताने की धमकी देकर लड़की के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने बताया कि छात्रा ने अपनी मां से स्वास्थ्य संबधी शिकायत की, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने बताया कि छात्रा 13 हफ्ते की गर्भवती है।

चकित माता-पिता और डाक्टर ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद लड़की का बयान दर्ज किया गया। उसकी शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जुहू थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की शीलभंग के इरादे से उस पर हमला या जबर्दस्ती), 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

पति का विवाहेतर संबंध हमेशा क्रूरता नहीं होगा : कोर्ट

नई दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी व्यक्ति के विवाहेतर संबंध और उसकी पत्नी का संदेह हमेशा ऐसी मानसिक क्रूरता नहीं होती जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रावधान माना जाए लेकिन यह तलाक का आधार हो सकता है। ये टिप्पणियां उस मामले में की गई थीं जिसमें एक महिला ने अपने पति के कथित विवाहेतर संबंधों की वजह से आत्महत्या की थी और दूसरी महिला ने अपमान की वजह से अपनी जान दी। यह विपत्ति यहीं समाप्त नहीं हुई। बाद में व्यक्ति की कथित प्रेमिका की मां और भाई ने भी आत्महत्या कर ली। शीर्ष अदालत उस व्यक्ति द्वारा अपनी दोषसिद्धि और चार साल के कारावास की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। उस व्यक्ति को अपनी पत्नी के उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता के लिए दोषी ठहराया गया था। इसकी वजह से उसकी पत्नी ने आत्महत्या की।

मुत्तूट फिनकॉर्प लि.
नीलामी की तिथियों में परिवर्तन

हम एतद्द्वारा अपने सभी ग्राहकों को सूचित करते हैं कि 04.11.2016 को जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित पूर्व सूचना के अनुसार उत्तराखंड क्षेत्र के लिए जो नीलामी 10.11.2016 को शाखाओं में और 17.11.2016 को ऑक्शन सेन्टर में होने वाली थी, उसे कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है. यह नीलामी अब 02.12.2016 को शाखाओं में और 09.12.2016 को ऑक्शन सेन्टर पर होगी, जो यहां स्थित है: मुत्तूट फिनकॉर्प लि., तल मंजिल, डोर नं: 1526, देहरादून रोड, रामनगर चौक-रुड़की, हरिद्वार - 247667, उत्तराखंड.

कृते मुत्तूट फिनकॉर्प लि.

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण सूचना

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र ऋणधारक श्रीमती सीमा पवार, ऋणखाता सं. 134391 के संदर्भ में 23.11.2016 को फाइनांसियल एक्सप्रेस एवं जनसत्ता दिल्ली संस्करणों में प्रकाशित मांग सूचना के लिए जारी की गई है जिसके अंतर्गत एनपीए की तिथि 31.07.2016 पढ़ी जाए। यहां ऊपर वर्णित तथ्यों को छोड़कर शेष विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेंगे।

सिटी बैंक कार्यालय, 27, **सेन्ट्रल मार्केट (3रा तल), वेस्टर्न एवैन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026**
तिथि: 24.11.2016 **कृते सीटी बैंक एन.ए.**
स्थान: नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि **राजनीतिक दल नागरिक सेवा पार्टी (रा0)** के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय 4 तायल विहार कालोनी, गेट नं0-2 ऐशबाग रोड हैदरगंज, लखनऊ में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-29 'क' के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है। पार्टी के पदाधिकारियों के नाम/पता नीचे दिये गये है। **अध्यक्ष कामरान असद,4 तायल विहार कालोनी गेट नं0-2 ऐशबाग रोड हैदरगंज, लखनऊ महासचिव, मसूद हसन 346/161 क मेंहदीगंज, लखनऊ, कोषाध्यक्ष स्नेहा तिवारी 147/360 पुराना टिकैतगंज, लखनऊ।**

यदि किसी को नागरिक सेवा पार्टी (रा0) के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल) भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजें।

विजया बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय: 41/2, एम.जी. रोड, बेंगलूर-560 001
विजया बैंक, बाराखम्बा रोड (6004), नं. 17, ग्राउंड फ्लोर, विजया बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
फोन: जेनरल-011-23712241, 23712289, फैक्स: 011-23713928,
ई-मेल: del.barakhambaroad@vijayabank.co.in वेब: www.vijayabank.com

[नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (द्वितीय) प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विजया बैंक, बाराखम्बा रोड शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 01.11.2016 जारी कर ऋणधारक (1) श्री नाथू मल गुप्ता, पुत्र श्री चुन्नी लाल गुप्ता, निवासी मकान सं. सी-53, I तल, ब्लॉक-जी, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024. (2) श्रीमती विमला रानी, पत्नी श्री नाथूमल गुप्ता, निवासी मकान सं. जी-53, I तल, ब्लॉक-जी, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024. (3) श्री राहुल गुप्ता, पुत्र श्री नाथूराम गुप्ता, निवासी मकान सं. जी-53, I तल, ब्लॉक-जी, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024. (4) श्रीमती दिव्या गुप्ता, पत्नी श्री राहुल गुप्ता, निवासी मकान सं. जी-53, I तल, ब्लॉक-जी, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 29.10.2016 को रु. 3,25,74,771.50 (रुपए तीन करोड़ पच्चीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ इकहत्तर पैसे पचास मात्र (ब्याज 29.09.2016 तक शामिल) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 1 नवम्बर, 2016 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर ब्याज, अन्य चार्जेज के साथ 29.10.2016 (ब्याज 29.09.2016 तक शामिल) को रु. 3,25,74,771.50 (रुपए तीन करोड़ पच्चीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ इकहत्तर एवं पैसे पचास मात्र) के लिए विजया बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री नाथू मल गुप्ता, पुत्र श्री चुन्नी लाल गुप्ता के नाम में "सम्पूर्ण 1ला तल भाग, बिना छत के अधिकार के जो सम्पत्ति सं. जी-53, लाजपत नगर-III का भाग है, माप 389 वर्ग यार्ड्स या 325.24 वर्ग मीटर, नई दिल्ली-110024 से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग एवं हिस्सा।
पंजीकरण, उप रजिस्ट्रार, गुड़गाँव के एरिया में।
चौहद्दी: उत्तर: सड़क, **दक्षिण:** सर्विस लेन, **पूर्व:** सम्पत्ति सं. जी-54, **पश्चिम:** सड़क।

तिथि: 25.11.2016, स्थान: दिल्ली हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, विजया बैंक, बाराखम्बा रोड

फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड
CIN : L15133UR1990PLC023970
रजिस्टर्ड ऑफिस : लाल टप्पर इंडस्ट्रियल एरिया, पी.ओ. रेशम मजरी, हरिद्वार रोड देहरादून (उत्त.)
फोन : 0135-2499234, फैक्स : 0135-2499235, वेबसाइट : www.flexfoodsltd.com, ईमेल : flexsec@vsnl.net

30.09.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान अंनकेक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ लाखों में)

क्र0 सं0	विवरण	30.09.2016 को समाप्त तिमाही	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	30.09.2015 को समाप्त तिमाही
1.	प्रचालनों से कुल आय	2167	8269	1962
2.	साधारण गतिविधियों से कर पश्चात् लाभ/(हानि)*	119	821	120
3.	समतुल्य अंश पूंजी (एफवी ₹ 10/-)	1245	1245	1245
4.	पुनर्मूल्यांकन (आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित)		5973 (31.03.2016 को)	
5.	इस अवधि के लिए आय प्रति शेयर (एफवी ₹ 10/- प्रति शेयर)	0.96	6.60	0.96

*कंपनी की कोई भी अति आसाधारण मद इस समय अवधि में नही है।

नोट :-

1. उपरोक्त विवरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए तिमाही के वित्तिय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित अंश है। तिमाही के वित्तिय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइ www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.flexfoodsltd.com पर उपलब्ध है।
2. खंडीय विवरण लागू नहीं है।
3. चालू एवं आस्थगित कर का प्रावधान संबधित अवधि के लाभों पर आधारित है।
4. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व वर्ष/अवधि के आंकडे पुनवर्गीकृत किए गए है।
5. उपरोक्त परिणामों को 24 नवम्बर, 2016 को आयोजित बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर अभिलेख में लिए गये है।

फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
(अशोक चतुर्वेदी)
अध्यक्ष
DIN - 00023452

स्थान : नोएडा
दिनाक : 24.11.2016

ICRA Limited
Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
Telephone No.: +91-11-23357940-45; Fax No.: +91-11-23357014
Website: www.icra.in Email ID: investors@icraindia.com

NOTICE
(For transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund Suspense Account (ICRA Limited))

This Notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 **("the Rules")** notified by the Ministry of Corporate Affairs effective date September 7, 2016. The Rules *inter alia*, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Suspense Account (ICRA Limited).

It is noticed from the records that certain shareholders of ICRA Limited **("the Company")** have not encashed their dividends since FY 2008-09 and the same remain unclaimed for seven consecutive years (i.e. none of the dividends declared since FY 2008-09, has been claimed by the shareholder).

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders whose equity share(s) is/are liable to be transferred to IEPF Suspense Account under the said Rules for taking appropriate action(s).

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Suspense Account on its website at www.icra.in. The shareholders are requested to refer to the Company's website to verify the details of unencashed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF Suspense Account.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Suspense Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the Rules.

In case no valid claim in respect of equity shares is received from the shareholders by December 9, 2016 or such other date as may be extended, the Company shall with the view to complying with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the IEPF Suspense Account (ICRA Limited) by the due date as stipulated in the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent and/or the Company at the below mentioned address.

Link Intime India Pvt. Ltd. 44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Ind. Area, Ph-I, New Delhi-110028 Phone: +91 11 4141 0592 Fax: +91 11 4141 0591 Email: delhi@linkintime.co.in	ICRA Limited Building No. 8, 2nd Floor, Tower A, DLF Cyber City, Phase II, Gurgaon - 122002 Phone: +91 124 4545300 Fax: +91 124 4050424 Email: investors@icraindia.com

The above information is available on the website of the Company (www.icra.in), the BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For ICRA Limited
(S. Shakeb Rahman)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gurgaon
Date: November 23, 2016